राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 230/2021

1. मीरा सैनी पत्नी बिन्टूराम सैनी उम्र 24 वर्ष
2. सुमन सैनी पत्नी भीमाराम सैनी उम्र 28 वर्ष
   समस्त जाति माली निवासी संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. उमंग अग्रवाल पुत्र आनन्द
2. अनिल कुमार पुत्र मालीराम
3. विजय कुमार पुत्र मालीराम
4. सुनिल कुमार पुत्र मालीराम
   समस्त जाति महाजन निवासीगण मोदी धर्मशाला के सामने, नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णय :– **दिनांक 09–05–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–03–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 80 खसरा नबर 764, 765, 777 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. भूमि में वादियागण का 5/9 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक [illegible] अ. [illegible]022/749 दिनांक 04.04.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner